भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3092
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना

3092. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत स्थापित सौर पंपों की संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति का कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया है;

(ग) इसके अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है और उपयोग की गई निधि का प्रतिशत कितना है;

(घ) पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंप स्थापित करने वाले किसानों के लिए राजसहायता संरचना का ब्यौरा क्या है और साथ ही हाल ही में राजसहायता राशि में हुए संशोधन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंप स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन करने के लिए कौन से मानदंड अपनाए जा रहे हैं और सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दिया जाना किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और

(च) क्या अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने अथवा सौर पंप स्थापना की क्षमता बढ़ाने के लिए पीएम-कुसुम का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) महाराष्ट्र की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य में कुल 3,36,289 पंप स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग): पीएम कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों और प्रगति प्रदर्शन के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत धनराशि को एसआईए द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थापना की प्रगति की सूचना तथा योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर जारी किया जाता है।

पीएम-कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(घ) पीएम कुसुम योजना के घटक ख के अंतर्गत, बेंचमार्क लागत या निविदा दरें, जो भी कम हो, की 30 प्रतिशत (या पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीप समूह के लिए 50 प्रतिशत) केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

राज्य के 30 प्रतिशत हिस्से के बिना भी घटक-ख का कार्यान्वयन किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30 प्रतिशत बनी रहेगी और शेष 70 प्रतिशत लागत का वहन किसान द्वारा किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए सब्सिडी की राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ङ) योजना के घटक-ख के अंतर्गत, व्यक्तिगत किसानों, क्लस्टर सिंचाई प्रणालियों, जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना कर सकते हैं। एसआईए लाभार्थियों के चयन के लिए जिम्मेवार है।

पीएम कुसुम योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के समय एसआईए द्वारा छोटे एवं कमजोर किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(च) चूंकि योजना दिनांक 31.03.2026 तक वैध है इसलिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3092 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति *(दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)*

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (एफएलएस)	स्थापित (आईपीएस+एफएलएस)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	34	0	436	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	100000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	434	0	0	0
4	असम	2	0	4000	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	30	4	0	0	0	0	0
6	बिहार	0	0	0	0	0	70000	0
7	गुजरात	0	0	18212	9349	0	725000	91976
8	गोवा	50	0	900	100	0	11000	700
9	हरियाणा	158	6.65	197655	149717	0	12899	0
10	हिमाचल प्रदेश	100	25.95	1270	785	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	5000	2228	0	0	0
12	झारखंड	0	0	42985	31509	0	0	0
13	कर्नाटक	0	0	41360	1895	0	766588	5066
14	केरल	0	0	8	8	39448	25387	8999
15	लद्दाख	0	0	1400	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	1790	48.63	59400	7325	0	445000	7417
17	महाराष्ट्र	260	6	505000	336289	0	775000	113640
18	मणिपुर	0	0	1150	78	0	0	0
19	मेघालय	0	0	3035	98	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0
21	नागालैंड	0	0	265	65	0	0	0
22	ओडिशा	40	0	16441	5666	0	10000	0
23	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	0	0	33000	12952	186	95000	0
25	राजस्थान	6550	338.75	162914	96731	6418	400000	20108
26	तमिलनाडु	14	1	5200	4187	5000	6000	0
27	तेलंगाना	1000	0	0	0	28000	0	0
28	त्रिपुरा	5	0	10895	4072	3600	0	50
29	उत्तर प्रदेश	1	0	110948	61181	12000	129000	2000
30	उत्तराखंड	0	0	5685	866	200	0	0
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	20	0	20
	कुल	10,000	430.98	12,29,157	7,25,575	95,308	35,70,874	2,49,976

कुल 12,29,157 पंपों के आवंटन के आधार पर, घटक-ख के अंतर्गत 59 प्रतिशत स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है।

अनुलग्नक-II

'पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3092 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के अंतर्गत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि

(दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	घटक-ख में जारी निधियाँ (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	-
अरुणाचल प्रदेश	4.24
असम	-
छत्तीसगढ़	-
बिहार	-
गुजरात	88.46
गोवा	0.43
हरियाणा	979.68
हिमाचल प्रदेश	11.78
जम्मू और कश्मीर	20.47
झारखंड	88.07
कर्नाटक	84.89
केरल	0.07
लद्दाख	-
मध्य प्रदेश	71.87
महाराष्ट्र	1762.65
मणिपुर	0.92
मेघालय	0.59
मिजोरम	2.57
नागालैंड	0.54
ओडिशा	8.29
पुडुचेरी	-
पंजाब	81.59
राजस्थान	821.58
तमिलनाडु	37.49
तेलंगाना	-
त्रिपुरा	27.74
उत्तर प्रदेश	287.31
उत्तराखंड	26.71
पश्चिम बंगाल	-
अन्य	-
कुल	4,407.93
घटक-ख के बजटीय परिव्यय के आधार पर, 27.69 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है।	

*****